न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA148 Smt Koyali ors Vs Smt BabuDevi etc

1. श्रीमती कोयली पत्नी स्व. घेवरराम विश्नोई
2. सहीराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई
3. कालुराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई
4. नैनाराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

5. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व. घेवरराम विश्नोई पत्नी मांगीलाल पुत्र गोरधनराम (भादु) निवासिनी गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर
6. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. घेवरराम विश्नोई पत्नी भंवरलाल पुत्र लाखाराम सोउ निवासी हिंगोली, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. श्रीमती बाबुदेवी पत्नी भाकरराम पुत्र पोलाराम (खावा) विश्नोई
2. श्रीमती सुण्डीदेवी पत्नी तेजाराम पुत्र मगाराम (झांग) विश्नोई

निवासीगण गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21 मार्च 2018 सहायक कलेक्टर लूणी राजस्व वाद संख्या 139/2009 कोयली बनाम बाबुदेवी

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बी.एल.विश्नोई, अधिवक्ता - अपीलाण्ट्स
श्री एस.एन.पुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 जनवरी 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 139/2009 कोयली बनाम बाबुदेवी में पारित निर्णय दिनांक 21 मार्च 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 सितम्बर 2018 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान किये जाने बाबत पेश किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम गुडा विश्नोईयान स्थित आराजी खसरा संख्या 43 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 46 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 47 रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 58 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश कर वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादी-अपीलाण्ट का $^1/_6$ -$^1/_6$ हिस्सा होना जाहिर किया और बताया कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में स्व. घेवरराम के नाम दर्ज थी, स्व. घेवरराम अपने अंतिम दिनों में कानों से बहरा और आंखों से अंधा हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या एक व दो ने आराजी खसरा संख्या 58 का पूरा रकबा बिना किसी प्रतिफल केवल कागजी बेचान के जरिये अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादी-पक्ष की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी। तत्पश्चात दिनांक 04 जुलाई 2011 से 12 फरवरी 2018 तक वादी-पक्ष की साक्ष्य हेतु चलती रही, इस दौरान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-पक्ष की ओर से गवाह नेनाराम व मांगीलाल (पीडब्ल्यु एक व दो) भी पेश किये। दिनांक 12 फरवरी 2018 को वादी-पक्ष की साक्ष्य बंद की गयी तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को वाद वादीगण अदम साक्ष्य में खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करने में त्रुटि की गयी है। वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य में गवाह नेनाराम व मांगीलाल (पीडब्ल्यु एक व दो) के रूप पेश हो चुकी थी और दस्तावेजात भी पेश किये जा चुके थे। इतना ही नहीं, प्रस्तुत की गयी साक्ष्य अखण्डित रही और प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य ही पेश नहीं की गयी। मामले में दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात भी कायम की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जाता, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया, मात्र इसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी-पक्ष की साक्ष्य को नहीं मानने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है, उक्त भूमि वक्त बंदोबस्त स्व. घेवरराम के अलावा उसके सगे भाईयों की खातेदारी में दर्ज हुई, जिसका विभाजन करने पर घेवरराम के खातेदारी में दर्ज हुई। अपील पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय 21 मार्च 2018 अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिसकी जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा समुचित समय में अपीलाण्ट्स को नहीं दी। हाल ही में दिनांक 15 अगस्त 2018 को स्कूल में आयोजित समारोह में अपीलाण्ट नैनाराम शरीक हुआ जहां यह अफवाह सुनी कि दावे में निर्णय हो गया, तब अधिवक्ता से दूरभाष पर सम्पर्क किया, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और दिनांक 21 अगस्त 2018 को सहायक कलेक्टर लूणी के कार्यालय में आने के लिए, जहाँ वास्तविक स्थिति से अवगत कराने बाबत कहा। अधिवक्ता के निर्देशानुसार 21 अगस्त 2018 को जाकर आवेदन किया, दिनांक 27 अगस्त 2018 को नकल लेकर वर्तमान अधिवक्ता से सम्पर्क किया और उनके निर्देशानुसार आलौच्य अपील पेश की, जो अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने मियाद के बिन्दु पर दृढतापूर्वक विरोध करते हुए कथन किया कि मियाद प्रार्थनापत्र में कहीं यह स्पष्ट नहीं किया कि न्यायालय में लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने का क्या कारण रहा। गुणावगुण पर अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि खसरा संख्या 58 की भूमि जो प्रतिवादी संख्या एक व दो ने जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख से कय की, घेवरराम की स्वयं की खातेदारी की भूमि थी, यह कभी भी घेवरराम के पिता की खातेदारी की भूमि नहीं रही। खसरा संख्या 58 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या एक श्रीमती सुण्डी के पक्ष में 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 10 मार्च 2004 को तथा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या दो श्रीमती बाबुदेवी के पक्ष में दिनांक 10 मार्च 2004 को जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख बेचान कर दी। उक्त विकयपत्रों पर वादी सहीराम का भी अंगुष्ठ निशान भी लगे है, जिससे जाहिर है कि किये गये बेचान में वादी की भी सहमति सम्मिलित है। 2008 डीएनजे (एससी)364 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विभाजन के बाद कोई सम्पत्ति संयुक्त सम्पति होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की अपनी विशेषता गवां देती है। 1993 आरआरडी 95 के हवालें से अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विकयपत्रों पर वादी सहीराम के बतौर गवाह साख अंगुष्ठ निशान है, अतः वह दावा करने से आबद्ध है। इसके अलावा अधिवक्ता-रेस्पो. ने न्यायालय कां ध्यान 1993 आरआरडी 505 की ओर भी आकर्षित किया। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने 1993 आरआरडी 232 पेश कर कथन किया कि यदि अभिलेख पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध हो तो अपीलीय न्यायालय के स्तर पर निर्णय पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में डिकी पर्चा तैयार नहीं किया गया, अतः इस संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अपील के गुणावगुण के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि--

- खतौनी बंदोबस्त मौजा गुडाविश्नोईयान परगना जोधपुर गवर्नमेण्ट संवत 1999 (प्रदर्श-1) के अनुसार खसरा संख्या 43, 44, 45, 46, 47, 58 हणुत ने तुलछीया काचबीया ने थानीया ने **गेवरीया बेटा गणेसया** जातरा बीसनोई वासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गांवरा बहिसा बराबर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति घेवरराम की स्व-अर्जित सम्पत्ति है, न कि उसके पिता से उसे विरासतन हासिल हुई है।

- प्रदर्श 2 नामांतरकरण संख्या 860 उक्त पांचों भाईयों के मध्य विभाजन राजस्व अभियान कैम्प दिनांक 2 जून 1989 व तहसीलदार जोधपुर के आदेशानुसार परस्पर सहमति बंटवारा होने पर घेवरराम के हिस्से खसरा संख्या 58, 46, 47 व 43 रखे गये।
- बाद जोत विभाजन घेवरराम द्वारा खसरा संख्या 58 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा में से दिनांक 10 मार्च 2004 को दो विक्रय विलेख क्रमशः प्रतिवादी संख्या एक श्रीमती बाबुदेवी के पक्ष में 6 बीघा 15 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या दो श्रीमती सुण्डी के पक्ष में 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि बाबत निष्पादित किये जिनका अमल दरामद होकर पृथक-पृथक खसरे नम्बर 58 व 58/1 कायम हुए।
- उक्त विक्रयपत्रों पर वादी सहीराम का भी साख रूप में अंगुष्ठ निशान भी लगे है, जिससे जाहिर है कि किये गये बेचान में वादी सहीराम की भी सहमति एवं संज्ञान सम्मिलित है। 1993 आरआरडी 95 के अनुसार विक्रयपत्रों पर वादी सहीराम (अपीलाण्ट संख्या 2) के बतौर गवाह साख अंगुष्ठ निशान है, अतः **वह दावा करने से आबद्ध है।**
- 2008 डीएनजे (एससी)364 के अनुसार **विभाजन के बाद कोई सम्पत्ति अपना संयुक्त सम्पति नहीं रह कर स्वार्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आ जाती है।** इसलिए घेवरराम उक्त दोनों विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए पूर्ण सक्षम है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

- घेवरराम द्वारा अपनी स्व-अर्जित सम्पत्ति के विधिसम्मतः किये गये पंजीबद्ध बेचान जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करार नहीं दिये जाते तब तक उसके संबंध में वादीगण का वाद सक्षम श्रवणाधिकारिता के अभाव मे चलने लायक नहीं रह जाता है, लिहाजा अपील में इन्हें कोई कानूनन सहायता नहीं मिल सकती।
- यहॉ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 1993 आरआरडी 232 के आलोक में यदि अभिलेख पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध हो तो अपीलीय न्यायालय के स्तर पर निर्णय पारित किया जा सकता है, लिहाजा प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर खसरा संख्या 58 के संबंध में घेवरराम द्वारा किया गया बेचान पूर्णरूपेण विधिसम्मत एवं प्रभावी है। अतः खसरा संख्या 58 के संबंध में वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं पाये जाते है, लिहाजा अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। खसरा संख्या 58 के अलावा शेष खसरा नम्बरान की वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलाण्ट्स अपने पिता स्व. घेवरराम की फौतेदगी का विरासत के आधार पर म्युटेशन भरवा कर आपसी सहमति से बंटवारा करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. श्रीमती कोयली पत्नी स्व. घेवरराम विश्नोई
2. सहीराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई
3. कालुराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई
4. नैनाराम पुत्र स्व. घेवरराम विश्नोई
   निवासीगण ग्राम गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
5. श्रीमती सोहनी पुत्री स्व. घेवरराम विश्नोई पत्नी मांगीलाल पुत्र गोरधनराम (भादु) निवासिनी गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर
6. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. घेवरराम विश्नोई पत्नी भंवरलाल पुत्र लाखाराम सोउ निवासी हिंगोली, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. श्रीमती बाबुदेवी पत्नी भाकरराम पुत्र पोलाराम (खावा) विश्नोई
2. श्रीमती सुण्डीदेवी पत्नी तेजाराम पुत्र मगाराम (झांग) विश्नोई
   निवासीगण गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लूणी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21 मार्च 2018 सहायक कलेक्टर लूणी राजस्व वाद संख्या 139/2009 कोयली बनाम बाबुदेवी

----- 0 -----

यह अपील बतारीख 24 जनवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री बी.एल. विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री एस.एन.पुरोहित मिनजानिब रेस्पो. एवं श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि समस्त विवेचन के आधार पर खसरा संख्या 58 के संबंध में घेवरराम द्वारा किया गया बेचान पूर्णरूपेण विधिसम्मत एवं प्रभावी है। अतः खसरा संख्या 58 के संबंध में वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के मुश्तहक नहीं पाये जाते है, लिहाजा अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। खसरा संख्या 58 के अलावा शेष खसरा नम्बरान की वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलाण्ट्स अपने पिता स्व. घेवरराम की फौतेदगी का विरासत के आधार पर म्युटेशन भरवा कर आपसी सहमति से बंटवारा करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ------ शून्य -------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---- शून्य ------ अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 जनवरी 2020 को जारी किया गया।

24/1/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

24/1/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर